

आदेश पत्रक  
(नियम 13)

{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

रतनलाल पुत्र सांवरमल जाति-गुर्जर निवासी वार्ड नं. 17 मुकुन्दगढ़, तह. नवलगढ़	-बनाम-	भंवरसिंह पुत्र माधवसिंह जाति- राजपूत निवासी जांटवाली तहसील नवलगढ़
किस्म मुकदमा - प्रा० पत्र अस्थाई निषेधज्ञा		मु.नं. 86/2020
आदेश	कार्यवाही विवरण	
24.08.2020	<p>यह प्रा० पत्र रतनलाल पुत्र सांवरमल जाति-गुर्जर निवासी वार्ड नं. 17 मुकुन्दगढ़, तह. नवलगढ़ कि ओर से जरिये वकील श्री प्रदीप कुमार झाझडिया विरुद्ध अप्रार्थीगण भंवरसिंह पुत्र माधवसिंह जाति- राजपूत निवासी जांटवाली तहसील नवलगढ़ 1 लगायत 6 पेश हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, नियमानुसार प्रस्तुत सम्मन/तलवाना पर अप्रार्थीगण की तलबी जारी होकर आईन्दा दिनांक 17/09/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(इन्द्राज सिंह) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़</p> <p>17/9/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में माधवसिंह का नाम है एवं पत्रावली में माधवसिंह की पेशगी/प्रवक्तृगण पर है, पत्रावली वास्ते प्रापम कार्यवाही दिनांक 9/10/20 को पेश हो। रीटव</p> <p>9/10/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में माधवसिंह का नाम है एवं पत्रावली में माधवसिंह की पेशगी/प्रवक्तृगण पर है, पत्रावली वास्ते प्रापम कार्यवाही दिनांक 16/10/20 को पेश हो। रीटव</p> <p>12/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वकील सुभाष कर्माकर की ओर से पेश किया कि प्रकरण में नसीब सुनी रह गई है जिसके खिलाफ उभाव दौता है पुनः वाद पेश करने की इतिहास प्रकरण को डिफा करना चाहता है। प्रापम पत्रावली पत्रावली का अनुरोध किया गया उभाव पत्रावली निजमेवा इली लव पर याचिका किया जाता है। पत्रावली केसल सुभाष कर्माकर की नम्र से कम हो गया वाद तहसील जांचा वकील वकील सुभाष कर्माकर</p>	

1854  
25/8/2020

उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़